UPRN180006072016

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,घाटमपुर कानपुर देहात ।

मु०नं०–1649/2016

सरकार बनाम सजीवन लाल आदि ।

धारा 323,504,506 भा०द०सं०

थाना–सजेती कानपुर–नगर ।

आरोप

मैं , अनुराग न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर,कानपुर देहात आप सजीवन लाल व मुन्नू को निम्नवत आरोपित करता हूं ।

प्रथमतः यह कि दिनांक 15–06–2016 को समय 22.00 बजे बहद मकान वादी ग्राम सूखापुर थाना सजेती जिला कानपुर नगर के अन्तर्गत आप लोगों ने वादी मुकदमा सोनपाल की पत्नी ममता को हाथ थप्पड़ से मार पीट कर साधारण चोटें पहुंचायी । इस प्रकार आप लोगों ने धारा 323 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

द्वितीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा सोनपाल की पत्नी ममता को गाली गलौच करते हुए लोक शान्ति भंग करने करने हेतु प्रकोपित किया । इस प्रकार आप लोगों ने धारा 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

तृतीयतः यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा सोनपाल की पत्नी ममता को जान से मारने की धमकी दिया । इस प्रकार आप लोगों ने धारा 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

एतदद्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक 14–09–2022

(अनुराग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No.UP 3268

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया जिसे स्वीकार न करते हुए अभियुक्तगण ने विचारण की मांग की ।

दिनांक 14–09–2022

(अनुराग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात ।
I.D.No.UP 3268

Digitally signed by ANURAG
Date: 2022.06.29 18:49:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court